भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2178
(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसम्बर, 2019 /11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है)

प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण

2178. सुश्री नुसरत जहां रूही:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण के बजट प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) अग्रिम कर भुगतान हेतु, दूसरी किश्त तक संग्रहित की जा रही राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्थव्यवस्था में आई मंदी कर संग्रहण में भी परिलक्षित होना प्रारंभ हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्यक्ष कर का कम संग्रहण सरकार के लिए माल और सेवा कर दरों में कोई अर्थपूर्ण कटौती करना असंभव बनाता है, जबकि इस हेतु उद्योग द्वारा निरंतर दबाव बनाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(**क**) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण का बजट अनुमान 13,35,000 करोड़ रु. है। ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

	वित्त वर्ष 2019-2020
कारपोरेट कर	7,66,000
वैयक्तिक आयकर	5,69,000

(स्रोत: प्राप्ति बजट, 2019-20)

(**ख**) अग्रिम कर की दूसरी किश्त तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण 4,45,242 करोड़ रु. है। ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

	वित्त वर्ष 2019-2020
कारपोरेट कर	2,38,514
वैयक्तिक आयकर(प्रतिभूति लेनदेन कर सहित)	2,06,231
अन्य कर	497

(स्रोत: प्रधान सीसीए, सीबीडीटी)

(ग) अप्रैल से अक्तूबर, 2019 की अवधि के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण 5,18,084 करोड़ रु. है। (स्रोत: प्रधान सीसीए, सीबीडीटी) व यह 13,35,000 करोड़ रु. के बजट अनुमान लक्ष्य का (करीब) 39 प्रतिशत है। अप्रैल से अक्तूबर, 2019 की अवधि के लिए कुल शुद्ध (जीएसटी + गैर जीएसटी) संग्रहण 5,43,980 करोड़ रु. (स्रोत: प्रधान सीसीए, सीबीआईसी) है और यह 11,19,247 करोड़ रु. के बजट अनुमान लक्ष्यों का करीब 49 प्रतिशत है।

(घ)और(ड.) सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर ही माल और सेवा पूर्ति पर माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों को नियत/बदला जाता है। जीएसटी परिषद एक संघीय निकाय है जिसमें केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व है। सरकार के पास जीएसटी दरों में कमी के लिए जीएसटी परिषद की कोई सिफारिश लंबित नहीं है।

****